

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1937 (शO) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2015

(सं0 पटना 569)

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं 15 मई 2015

एस०ओ० 72, दिनांक 15 मई 2015—बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36, 1948) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।** —(1) यह नियमावली बिहार विद्युत शुल्क (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह दिनांक 23.06.2005 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- **2. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 2 में संशोधन** बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 2 का उपनियम (च) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा—
 - ''(च) 'निरीक्षण अधिकारी' से अभिप्रेत है वाणिज्य—कर आयुक्त, वाणिज्य—कर अपर आयुक्त, वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य—कर उपायुक्त, वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य—कर पदाधिकारी या वाणिज्य—कर निरीक्षक या अधिनियम या इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी या सभी प्रावधानों के अधीन निरीक्षण अधिकारी अथवा विहित प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य पदाधिकारी।''
- **3. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 3 में संशोधन** बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 3 का उपनियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
 - (2) आवेदन करदाता या उसकी ओर से अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उसमें इंगित तरीके से सत्यापित होने के बाद अंचल के प्रभारी वाणिज्य—कर उपायुक्त, सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- **4. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 11**A में संशोधन— बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 11A में प्रयुक्त शब्द ''सहायक आयुक्त या अधीक्षक या सहायक

अधीक्षक'' शब्द ''वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 12 में संशोधन-

- (1) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 12 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''सहायक आयुक्त या अधीक्षक या सहायक अधीक्षक'' शब्द ''वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (2) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 12 के उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द ''सहायक आयुक्त या अधीक्षक या सहायक अधीक्षक'' शब्द ''वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (3) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 12 के उपनियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
 - "(3) सूचना में निर्दिष्ट तिथि को या तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी ऐसे साक्ष्यों, जिसे करदाता प्रस्तुत करे और ऐसे अन्य साक्ष्यों की जिसे वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी को निर्दिष्ट बिन्दु पर अपेक्षा हो, सुनवाई के बाद करदाता द्वारा देय शुल्क की राशि निर्धारित करेगा।"
- (4) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 12 के उपनियम (4) में प्रयुक्त शब्द ''सहायक आयुक्त या अधीक्षक या सहायक अधीक्षक'' शब्द ''वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 6. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 13 में संशोधन— बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 13 में प्रयुक्त शब्द "सहायक आयुक्त या अधीक्षक या सहायक अधीक्षक" शब्द "वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 14 में संशोधन:-

- (1) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 14 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
 - ''(1) शास्ति के साथ अथवा बिना शास्ति के, कर निर्धारण आदेश के खिलाफ एक अपील वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त, जो अपीलीय वादों को सुनने हेतु प्राधिकृत किए गए हों, के समक्ष दायर की जाएगी।''
- (2) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 14 के उपनियम (2) और इसकी प्रविष्टियाँ एतद् द्वारा विलोपित की जाती है।
- (3) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 14 का उपनियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
 - ''(3) वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त द्वारा उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन वाणिज्य—कर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा''।
- (4) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 14 के उपनियम (4) में प्रयुक्त शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''उपनियम (1) या (2)'' शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''उपनियम (1)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (5) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 14 के उपनियम (4) का खंड (क) और इसकी प्रविष्टियाँ एतद् द्वारा विलोपित की जाती हैं।
- (6) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 14 का उपनियम (4) का खंड (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
 - ''(ख) वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष, यदि पुनरीक्षित किया जाने वाला ऐसा आदेश उपायुक्त की पंक्ति से उपर के किसी प्राधिकारी द्वारा पारित न हो।

(7) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 14 के उपनियम (5क) में शब्द "उप—अंचल के प्रभारी अपर अधीक्षक या सहायक अधीक्षक, यदि बकाया राशि उप—अंचल से संबंधित हो, और अन्य मामलों में अंचल के सहायक आयुक्त या अधीक्षक" शब्द "अंचल के प्रभारी वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी जिनसे बकाया संबंधित हो" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 15 में संशोधन-

- (1) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 15 के उपनियम (2) का खंड (क) और इसकी प्रविष्टियाँ एतद् द्वारा विलोपित की जाती हैं।
- (2) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 15 का उपनियम (2) का खंड (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
 - ''(ख) अंचल के प्रभारी वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी, यदि करवापसी की राशि रू० 5000 से अधिक न हो और''
- (3) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 15 का उपनियम (2) का खंड (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
 - ''(ग) प्रमण्डल के वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (प्र०), यदि करवापसी की राशि रू० 5000 से अधिक हो।''

9. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 16A में संशोधन-

- (1) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 16क के उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द ''अंचल के सहायक आयुक्त या अधीक्षक या उप—अंचल के अपर अधीक्षक या सहायक अधीक्षक'' शब्द ''अंचल के वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (2) बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 16क के उपनियम (3) में प्रयुक्त शब्द ''अंचल के सहायक आयुक्त या अधीक्षक या उप—अंचल के अपर अधीक्षक या सहायक अधीक्षक'' शब्द ''अंचल के वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 10. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 19 में संशोधन।—बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 19 के द्वितीय परंतुक में प्रयुक्त शब्द "या उप—अंचल के अपर अधीक्षक या सहायक अधीक्षक" विलोपित किए जाएंगे एवं बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 19 के द्वितीय परंतुक में प्रयुक्त शब्द "अंचल के सहायक आयुक्त या अधीक्षक" शब्द "अंचल के वाणिज्य—कर उपायुक्त या वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य—कर पदाधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 11. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 19ख का अंतःस्थापन।— बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 की नियम 19क के बाद निम्नलिखित नया नियम 19ख अंतःस्थापित किया जाएगा यथा :—
 - "19ख विधिमान्यकरण एवं व्यावृति ।— (1) उक्त नियमावली के नियम 2 के उपनियम (च), नियम 3 के उपनियम (2), नियम 11A, नियम 12 के उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3) एवं उपनियम (4), नियम 13, नियम 14 के उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4), उपनियम (4) के खंड (क), खंड (ख), उपनियम (5A), नियम 15 के उपनियम (2) का खंड (क), खंड (ख) एवं खंड (ग), नियम 16A के उपनियम (2), उपनियम (3) और नियम 19 के द्वितीय परन्तुक में संशोधन, सभी प्रयोजनों हेतु, 2005 के जून की तेईसवीं तारीख के प्रभाव से, सभी तात्विक समय से विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से, प्रवृत एवं सदैव प्रवृत समझा जायेगा।
 - (2) (i) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम, 36) एवं इसके अधीन बनाई गई नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कोई निर्धारण, संग्रहण, समायोजन, घटाव अथवा संगणन अथवा कृत कोई अन्य कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए आशान्वित कोई बात या कार्रवाई, सभी प्रयोजनों हेतु, विधिमान्यतः या प्रभावकारी रूप से, निर्धारित, संग्रहित, समायोजित, घटायी गयी, संगणित अथवा की गई समझी एवं सदैव समझी जायेगी मानों इस संशोधन द्वारा संशोधित उक्त नियमावली, सभी तात्विक समय में प्रवृत्त थी तथा, तद्नुसार, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी—

- (क) ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति के रूप में प्राप्त की गई अथवा भुगतान की गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में प्रारम्भ की जायेगी, न चलायी जायेगी और न ही जारी रखी जायेगी:
- (ख) प्राप्त या वसूल किए गए ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति की राशि की वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा नहीं कराया जायेगा।
- (ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 2 के उपनियम (च), नियम 3 के उपनियम (2), नियम 11A, नियम 12 के उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3) एवं उपनियम (4), नियम 13, नियम 14 के उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4), उपनियम (4) के खंड (क), खंड (ख), उपनियम (5A), नियम 15 के उपनियम (2) का खंड (क), खंड (ख) एवं खंड (ग), नियम 16A के उपनियम (2), उपनियम (3) और नियम 19 के द्वितीय परन्तुक में बिहार बिद्युत शुल्क नियमावली, 1949 में इस संशोधन द्वारा उपरोक्त नियमों में किये गये संशोधन के फलस्वरूप बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के तहत कर के रूप में संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया, का संग्रहण उपर्युक्त नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार किया जा सकेगा।
- (ii) शंकाओं के निराकरण हेतु एतत् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप जो इस धारा के प्रवृत्त नहीं होने की दशा में दंडनीय नहीं होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।"

[(सं०सं० बिक्री—कर / संशोधन—01 / 2015—2122)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, रवि मित्तल, आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

15 मई 2015

एस०ओ० 73—एस०ओ० 72, दिनांक 15 मई 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री—कर / संशोधन—01 / 2015—2123)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, रवि मित्तल, आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 15th May 2015

- S.O. 72, dated 15th May 2015— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Electricity Duty Rules, 1949:-
- 1. *Short title, extent oral commencement.* (1) These Rules may be called the Bihar Electricity Duty (Amendment) Rules, 2015.
 - (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
 - (3) It shall come into force with effect from dated 23.06.2005.
- **2.** Amendment in Rule 2 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949- Sub-rule (f) of Rule 2 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following:-
 - "(f) 'inspecting officer' means the Commissioner of Commercial Taxes, the Additional Commissioner of Commercial Taxes, the Joint Commissioner of Commercial Taxes, the Deputy Commissioner of Commercial Taxes, the Assistant Commissioner of Commercial Taxes, the Commercial Taxes Officer or Commercial Taxes Inspector or any other officer appointed by the State Government under all or any of the provisions of the Act, or these rules to discharge the functions of an inspecting officer or prescribed authority.
- **3.** Amendment in Rule 3 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949. Sub-rule (2) of Rule 3 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following:-

- "(2) The application shall be signed by the assessee, or by an authorised agent on his behalf and shall, after being verified in the manner indicated therein, be submitted before the Deputy Commissioner of Commercial Taxes or the Assistant Commissioner of Commercial Taxes or the Commercial Taxes officer in charge of the circle".
- **4.** Amendment in Rule 11A of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.- The words "Assistant Commissioner or Superintendent or Assistant Superintendent" used in Rule 11A of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes or Commercial Taxes officer".
 - 5. Amendment in Rule 12 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.-
 - (1) The words "Assistant Commissioner, or Superintendent, or the Assistant Superintendent" used in sub-rule (1) of Rule 12 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes or Commercial Taxes officer".
 - (2) The words "Assistant Commissioner, or Superintendent, or Assistant Superintendent" used in sub-rule (2) of Rule 12 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes of Commercial Taxes officer".
 - (3) Sub-rule (3) of Rule 12 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following:-
 - "(3) On the date specified in the notice or as soon afterwards as may be, the Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes or Commercial Taxes officer, after hearing such evidences as the assessee may produce and such other evidence as the Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes or Commercial Taxes Officer may require on specified point, shall assess the amount of duty due from the assessee".
 - (4) The words "Assistant Commissioner, or Superintendent, or the Assistant Superintendent" used in sub-rule (4) of Rule 12 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes of Commercial Taxes officer".
- **6.** Amendment in Rule 13 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.- The words "the Assistant Commissioner, or Superintendent, or Assistant Superintendent" used in Rule 13 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by "Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes or Commercial Taxes officer".
 - 7. Amendment in Rule 14 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.-
 - Sub-rule (1) of Rule 14 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following:-
 - "(1) An appeal against an order of assessment, with or without penalty shall lie to the Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Joint Commissioner of Commercial Taxes who are authorised to hear cases of appeal"
 - (2) Sub-rule (2) of Rule 14 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 and its entries are hereby deleted.
 - (3) Sub-rule (3) of Rule 14 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following:-
 - "(3) An application for revision of an order passed by the Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Joint Commissioner of Commercial Taxes under sub-rule (1) shall be presented to the Commissioner of Commercial Taxes".

- (4) The words figures and brackets "sub-rules (1) or (2)" used in sub-rule (4) of Rule 14 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the words, figures and brackets "sub-rule (1)"
- (5) Clause (a) of sub-rule (4) of Rule 14 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 and its entries are hereby deleted.
- (6) Clause (b) of sub-rule (4) of Rule 14 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following:-
 - "(b) before the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration), if the order to be revised is not passed by any authority above the rank of Deputy Commissioner of Commercial Taxes".
- (7) The words "Additional Superintendent or Assistant Superintendent in charge of the sub-circle, if the dues relate to a sub-circle and from the Assistant Commissioner or Superintendent of the circle in other Cases" used in sub-rule (5A) of Rule 14 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes or Commercial Taxes Officer in charge of the circle to which dues relates".

8. Amendment in Rule 15 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.-

- (1) Clause (a) of sub-rule (2) of Rule 15 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 and its entries are hereby deleted.
- (2) Clause (b) of sub-rule (2) of Rule 15 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following:-
 - "(b) The Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes or Commercial Taxes Officer in charge of the circle if the amount of refund of tax does not exceed rupees 5000; and"
- Clause (c) of sub-rule (2) of Rule 15 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following:-
 - "(c) The Joint Commissioner of Commercial Taxes (administration) of the division, if the amount of refund of tax exceeds Rs.5,000".

9. Amendment in Rule 16A of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.-

- (1) The words "Assistant Commissioner or Superintendent of the circle, or the Additional Superintendent or Assistant Superintendent of the sub-circle," used in sub-rule (2) of Rule 16A of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes or Commercial Taxes officer of the circle"
- (2) The words "Assistant Commissioner or Superintendent of the circle, or the Additional Superintendent or Assistant Superintendent of the sub-circle," used in sub-rule (3) of Rule 16A of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes of Commercial Taxes of the circle"
- 10. Amendment in Rule 19 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.- The words "or the Additional Superintendent or Assistant Superintendent of the sub-circle," used in second proviso to Rule 19 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be deleted and the words "Assistant Commissioner or Superintendent of the circle" used in the second proviso to Rule 19 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes or Assistant Commissioner of Commercial Taxes or Commercial Taxes officer of the circle".
- 11. Insertion of a new Rule 19B in the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.-After Rule 19A of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949, the following new Rule 19B shall be inserted:

- "19B Validation and Saving— (1) The amendments made in provisions of sub-rule (f) of Rule 2, sub-rule (2) of Rule 3, Rule 11A, sub-rule (1), sub-rule (2), sub-rule (3) and sub-rule (4) of Rule 12, Rule 13, sub-rule (1), sub-rule (2), sub-rule (3), sub-rule (4), clause (a) and clause (b) of sub-rule (4) and sub-rule (5A) of Rule 14, clause (a), clause (b) and clause (c) of sub-rule (2) of Rule 15, sub-rule (2) and sub-rule (3) of Rule 16A and second proviso of Rule 19 of Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be deemed to be in force and always be in force, for all purposes, validly and effectively for all material times with effect from the twenty-third day of June, 2005.
- (2) (i) Any assessment, collection, adjustment, reduction or computation made or any other action taken or anything done or purported to have been taken or done under the Bihar Electricity Duty Act, 1948 and notifications issued and rules made there under shall be deemed to be taken or done and always be taken or done, for all purposes, validly and effectively, assessed, collected, adjusted, reduced, computed or taken or done as if the said Rules as amended by this amendment had been in force for all material times and, notwithstanding anything contained in any judgment, decree, or order of any court, or Tribunal or other Authority:-
 - (a) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any Court or Tribunal or other Authority for the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;
 - (b) no Court, Tribunal or other Authority shall enforce any decree or order directing the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;
 - (c) recoveries may be made in accordance with the provisions of sub-rule (f) of Rule 2, sub-rule (2) of Rule 3, Rule 11A, sub-rule (1), sub-rule (2), sub-rule (3) and sub-rule (4) of Rule 12, Rule 13, sub-rule (1), sub-rule (2), sub-rule (3), sub-rule (4), clause (a) and clause (b) of sub-rule (4) and sub-rule (5A) of Rule 14, clause (a), clause (b) and clause (c) of sub-rule (2) of Rule 15, sub-rule (2) and sub-rule (3) of Rule 16A and second proviso of Rule 19 of Bihar Electricity Duty Rules, 1949 of all amounts which could have been collected as tax under the Bihar Electricity Duty Act, 1948 by reason of amendment made in the above Rules by this amendment but which had not been collected.
 - (ii) For the removal of doubts, it is hereby declared that no act or omission on the part of any person shall be punishable as an offence which would not have been so punishable if this amendment in the above Rule had not come into force."

(File No. Bikri kar/Sansodhan- 01/2015-2122)] By order of the Governor of Bihar, RAVI MITAL,

Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 569-571+50-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in